जनसंपर्क संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त,2017

क्रमांक ए-1-3/2017/जसंसं/स्था/ 6002 /मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा समूह-4 के अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा-2016 के माध्यम से चयनित निम्नांकित आवेदकों को **सहायक ग्रेड-3, सह डाटा एन्ट्री आपरेटर** (**संविदा**) **के पद का मूल वेतन 5200/- एवं ग्रेड पे 1900/- सहित एकजाई वेतन रुपये 7100/-** में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर अन्य आदेश पर्यन्त कॉलम 04 में दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	आवेदक/पिता का नाम	वर्ग	पदस्थापना
1.	श्री मनीष कुमार नरेडी पिता श्री सुभाषचंद्र नरेडी, **जिला देवास**	अनारक्षित	जिला जनसंपर्क कार्यालय, हरदा
2.	श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, **जिला भोपाल**	अनारक्षित	जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल
3.	श्री मनीष राठौर पिता श्री श्याम लाल राठौर, **जिला शिवपुरी**	ओबीसी	जिला जनसंपर्क कार्यालय, गुना

यह संविदा नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी कि:-

1. यह कि चयनित कर्मचारी को आवश्यकतानुसार किसी भी अधीनस्थ कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा।
2. यह कि संविदा नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष तक के लिए ही होगी। कार्यालय में आवश्यकता होने पर तथा नियुक्ति किये गये व्यक्ति का कार्य संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में उपलब्ध पद एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर यह अवधि बढ़ाई जा सकेगी। इसके लिए तदनुसार अनुबंध किया जाना आवश्यक होगा।
3. यह कि पद पूर्णत: संविदा का है। नियुक्त कर्मचारी का नियमितिकरण का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
4. यह कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को रू.100 के स्टाम्प पेपर पर बंध निर्धारित प्रारूप मे अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
5. यह कि संविदा सेवा में प्रतिमाह पद का मूल वेतन 5200/- एवं ग्रेड पे 1900/- सहित एकजाई वेतन रुपये 7100/- (रुपये सात हजार एक सौ) एवं नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, महँगाई भत्ता, अतिरिक्त महँगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाडा भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी। वित्त विभाग द्वारा समय-समय जारी निश्चित प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़ी जा सकेगी।
6. यह कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पद छोड़कर जाता है या कार्य संतोषजनक न पाये जाने/ निर्धारित समयावधि के पूर्व सेवाएँ समाप्त की जाती हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा या एक माह का पारिश्रमिक शासकीय पक्ष में जमा करना होगा।
7. यह कि संविदा अवधि में अन्य संस्थाओं में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यापार करने पर प्रतिबंध होगा।
8. यह कि शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश लागू एवं बंधनकारी होगें।
9. यह कि संविदा कर्मचारी को एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक तथा 03 दिवस के ऐच्छिक अवकाश के अलावा शासन द्वारा घोषित अन्य सार्वजनिक अवकाश तथा महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी। अन्य किसी अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
10. यह कि कार्यभार ग्रहण करते समय जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. यह कि उक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की गई है। चरित्र सत्यापन पश्चात यदि प्रस्तुत जानकारी गलत पायी जाती है तो नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
12. यह कि नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर पदस्थापना कार्यालय में अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
13. यह कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 (गंभीर एवं लघु दुराचरण) और उसमें किये गये अद्यतन संशोधन द्वारा शासित होगा।
14. यह कि संविदा की शर्तो के संबंध में कोई भी विवाद होने पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
15. यह कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की आपसी वरिष्ठता मेरिट सूची के अनुसार होगी।
16. यह कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम-6 के उपनियम (6) जिसमें प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान जीवित होने पर एक का जन्म यदि 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, तो किसी भी शासकीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र माना जावेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला आरक्षण के संबंध में राज्य शासन के प्रावधानों/आदेशों का पालन किया गया है तथा संबंधित संवर्ग के लिए निर्धारित रोस्टर में संबंधित वर्ग के अन्तर्गत रिक्त बिन्दु पर प्रविष्टि अंकित कर दी गई है।

(अनुपम राजन)
आयुक्त, जनसम्पर्क

D:\P R Thapa\2017\order 2017.doc

पृ.क्रमांक ए-1-3/2017/जसंसं/स्था./ 6003 भोपाल, दिनांक 30अगस्त, 2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. स्टेनो, आयुक्त/ संचालक, जनसंपर्क संचालनालय मुख्यालय, भोपाल।
4. समस्त अपर संचालक, जनसंपर्क संचालनालय मुख्यालय, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, भोपाल/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. उप/सहायक ज़नसंपर्क अधिकारी, जिला जनसंपर्क कार्यालय, हरदा/गुना की ओर सूचनार्थ प्रति भेजकर लेख है **कि नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संचालनालय को अवगत करायें। कृपया नियुक्त किए गए कर्मचारी का बायोडाटा भी कोषालय में फीड कराएँ।**
7. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय भोपाल।
8. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, हरदा/ गुना।
9. प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल सर्वर कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
10. अध्यक्ष, विभागीय तृतीय वर्ग कर्मचारी समिति, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
11. संबंधित सहायक/अवकाश/ गोपनीय प्रभाग, लेखा/ सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, वेबसाइट कक्ष जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल।
12. श्री मनीष नरेडी पिता श्री सुभाषचंद्र नरेडी, म.न. 173 वार्ड नं. 08 एम.जी. रोड़ कनौद, जिला देवास म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, म.नं. 27 सी सेक्टर पटेल नगर, रायसेन रोड़, जिला भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. श्री मनीष राठौर पिता श्री श्याम लाल राठौर, फिजिकल कालेज रोड़ इंद्रिरा कालोनी के पास गणेश मंदिर काशी भवन, जिला शिवपुरी म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. स्टाक/रिकार्ड फाइल।

(अनिल माथुर)
संचालक, जनसंपर्क